

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमंडल, मुंगेर।
निविदा आमंत्रण सूचना

- | | |
|--|--|
| 1. विज्ञापन दाता का नाम | - कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर |
| 2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय (एक सप्ताह) | - 10.01.2012 के 1:00 बजे अपराहन् तक |
| 3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय | - 11.01.2012 के 3:00 बजे अपराहन् तक |
| 4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय | - 11.01.2012 के 3:30 बजे अपराहन् के बाद |
| 5. परिमाण विपत्र बिक्री एवं निविदा प्राप्ति का स्थान | 1. मुख्य अभियंता (या0), दक्षिण बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय
2. अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर का कार्यालय
3. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का कार्यालय |

कार्य का विवरण :-

क्र० स०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	शाहजुबैर पथ, मुंगेर स्थित पथ प्रमंडल, मुंगेर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के आवास के चहारदीवारी का निर्माण कार्य वर्ष 2011-12	₹ 2,22,185.00	₹ 4,500.00	₹ 500.00	दो माह
II.	बेलन बाजार, मुंगेर स्थित पथ प्रमंडल, मुंगेर के तृतीय वर्गीय कर्मचारी के आवास का मरम्मत कार्य वर्ष 2011-12	₹ 6,74,100.00	₹ 13,500.00	₹ 1,250.00	तीन माह
III.	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर के कार्यालय भवन का मरम्मत कार्य वर्ष 2011-12	₹ 12,32,100.00	₹ 24,700.00	₹ 2,500.00	तीन माह
IV.	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, तारापुर के कार्यालय भवन सह गोदाम एवं चहारदीवारी का मरम्मत कार्य वर्ष 2011-12	₹ 23,88,232.00	₹ 47,800.00	₹ 5,000.00	तीन माह
V.	मुंगेर-डकरानाला पथ के पुराने एलायनमेंट का मरम्मत कार्य वर्ष 2011-12	₹ 24,98,000.00	₹ 50,000.00	₹ 5,000.00	एक माह

विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

अन्य शर्तें :- पुनरीक्षित PWD Code Vol. I Rule 6 के आधार पर

1. अग्रधन की राशि – 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण- पत्र आठवाँ निर्गम/डाकघर जमा 3 वर्षीय या 5 वर्षीय सावधिक जमा / फिक्सडिपोजिट के रूप में पासबुक जो निविदा की तिथि से छः माह के अंदर बिहार राज्य के डाकघर से क्य किया हो। लेकिन इसकी वैधता कार्यावधि तथा डिफेक्ट लाईवलिटी की अवधि के अन्तर्गत हो, एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मुंगेर के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) होना चाहिए।
2. विभागीय निबंधन प्रमाण-पत्र (अद्यतन नवीकृत), अद्यतन लेवर लाईसेंस (श्रमिक लाईसेन्स नवीकरण प्रमाण-पत्र जो पथ प्रमंडल, मुंगेर के लिए निर्गत हो), वाणिज्यक/बैंक निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन वाणिज्यकर वैट सफाया प्रमाण-पत्र, आयकर चुक्ता प्रमाण-पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र फर्म के मामले में सभी पार्टनरशीप डीड यंत्र-संयंत्र एवं अन्य उपकरण की सूची एवं स्वामित्व प्रमाण-पत्र तथा अभियंत्रण इकाई में कार्यरत की सूची एवं समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र आदि संलग्न हो। सभी प्रमाण-पत्र अद्यतन एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
3. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दर से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर अंकित करना है (ध्यान रहे कि कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 15 पन्द्रह प्रतिशत से कम दर की निविदा मान्य नहीं होगी) दर को अंको के साथ-साथ शब्दों में भी अंकित करना है।
4. यह कार्य पथ निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों को आवंटित किया जायेगा। संवेदक के पास सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विशिष्टियों के अनुरूप अपना मशीनरी एवं उपकरण यथा कंकीट मिक्सचर मशीन, नाजल एवं प्लेट भाईब्रेटर इत्यादी तथा गुण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला के सभी उपकरण होना अनिवार्य है। इनके स्वामित्व के प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं, जिसका भौतिक सत्यापन करा देना निविदा दाता की जिम्मेदारी होगी।
5. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेखों की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पथ निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में अद्यतन नवीकृत निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन आयकर सफाया प्रमाण-पत्र, अद्यतन वाणिज्यकर/वैट निबंधन एवं अद्यतन वाणिज्यकर, वैट सफाया प्रमाण-पत्र अद्यतन लेवर लाईसेंस, अद्यतन चरित्र स्वच्छता प्रमाण-पत्र।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायेगा, भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर के पदनाम से निर्गत हो तथा मुंगेर स्थित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा में भुगतेय हो।
7. निर्माण सामग्रीयों के दरों में बढ़ोतरी के लिए कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।
8. पुल/पुलिया/ पी0 सी0 सी0 कार्य में छड़ सीमेन्ट की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी है। छड़ सीमेन्ट क्य करने का प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्य में छड़ सीमेन्ट प्रयोग करने के पूर्व गुण- नियंत्रण जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। छड़ सीमेन्ट की गुणवत्ता आई0 एस0 आई0 मानक विशिष्टियों के अनुरूप होगी।
9. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र क्य करने के पूर्व कार्यस्थल, प्राक्कलन, क्वैरी की स्थिति एवं निर्माण सामाग्रीयों की उपलब्धता से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है, इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

10. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
11. सशर्त निविदा अमान्य होगी।
12. बिना कारण बताये किसी कार्य की निविदा को रद्द करने या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्रवाई बॉटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि में कमी या वृद्धि होगी।
14. संवेदक को कार्य समाप्ति से 3 वर्ष तक संबंधित कार्यों का रख-रखाव करना होगा, जिसके लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. संवेदकों के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को जिनका फोटो एवं हस्ताक्षर संवेदक द्वारा अभिप्रमाणित रहेगा उन्हें ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।
16. ग्रुप सं० III, IV एवं V में निविदादाताओं को स्थायी इंजीनियरिंग संगठन होना चाहिए, जिसमें योग्यता प्राप्त स्नातक अभियंता एवं डिप्लोमाधारी अभियंता हों, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। निविदा कागजात के साथ उपरोक्त सूचना अंकित कर साक्ष्य संलग्न रहना अनिवार्य है।
17. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
18. निविदा प्राप्ति के बाद एक सप्ताह के अन्दर यंत्र-संयंत्र इत्यादी के स्वामित्व का सभी मूल कागजात दिखाते हुए भौतिक सत्यापन कराना होगा।
19. किसी भी परिस्थिति में समय वृद्धि देय नहीं होगा।
20. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
21. संवेदकों को M & N Form विपत्र के साथ जमा करना होगा।
22. बिटूमिनस कार्य (BM/SDBC) हेतु संवेदक के पास भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विशिष्टियों के अनुरूप अपना निजी हॉट मिक्स प्लान्ट, सेंसर पेभर फिनिसर, एफ० ई० लोडर, टीपर, ट्रक, रोलर, वाटर टैंकर तार व्यायलर आदि मशीनरी एवं उपकरण तथा गुण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला के सभी उपकरण होना अनिवार्य है। इनके स्वामित्व के प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं, जिसका भौतिक सत्यापन करा देना निविदा दाता की जिम्मेदारी होगी।
23. संवेदक को निबंधित बिहार अवस्थित आयल कम्पनी के डम्प से 60/70 पैकड विटुमन स्वयं खरीद कर लगाना होगा। जिसका खरीदने का प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल मुंगेर के कार्यालय में 48 घंटे के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
24. विटुमन की गुणवत्ता की जाँच संवेदक के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा विभागीय प्रयोगशाला में करायी जायेगी। जिसका व्यय संवेदक को वहन करना होगा। तेल कम्पनी से कार्य स्थल तक विटुमन ढुलाई के लिए संवेदक को अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं होगा।
25. कालीकरण कार्य के बाद ही भुगतान किया जायेगा।

26. हॉट मिक्स प्लान्ट की दूरी कार्य स्थल से अधिकतम 35 कि० मी० तक अनिवार्य है।

27. तेल कम्पनी द्वारा समय-समय पर विटुमेन आपूर्ति दरों में परिमाण विपत्र के दरो से बढ़ोतरी के लिए कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।

नोट:- शर्त का क्रम संख्या 1 से 27 तक ग्रुप सं० V के विटूमिनस कार्य के लिए प्रभावी है एवं क्रम संख्या 1 से 21 तक ग्रुप सं० I से IV तक के कार्य के लिए प्रभावी है।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर

ज्ञापांक:

1327(7) / मुंगेर,

दिनांक: -

प्रतिलिपि:- निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।
आपसे अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति की रसीद के साथ रिलीज फॉर्म का मूल प्रति भी
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
प० नि० वि०, पथ प्रमंडल, मुंगेर

ज्ञापांक: 1327(7) / मुंगेर,

दिनांक: - 17/12/11

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख- सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना / मुख्य अभियंता (या०), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण
अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर / सूचना एवं जनसंपर्क
पदाधिकारी, मुंगेर / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित एवं
नोटिस बोर्ड पर।



कार्यपालक अभियंता
प० नि० वि०, पथ प्रमंडल, मुंगेर